न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 13/2015 दावा

उनवान

1. किशन गोपाल शर्मा पुत्र स्व0श्री मांगी लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कुण्डेरा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वादी

बनाम

1. धनराज पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0श्री रामेश्वर
3. शम्भु दयाल पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र समस्त जातियान ब्राहमण निवासीयान ग्राम कुण्डेरा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
4. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र,जाति ब्राहमण,निवासी ग्राम पोस्ट कुण्डेरा ,तहसील व जिला सवाई माधोपुर राज0 हाल निवासी मकान नं0 312,केशवपुरा,सेक्टर नं0 4,कोटा
5. देवकी नन्दन शर्मा उर्फ काडू पुत्र स्व0 श्री पूरण शर्मा
6. महेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र स्व0 श्री पूरण शर्मा
   जाति ब्राहमण,निवासी ग्राम व पोस्ट कुण्डेरा,तहसील व जिला सवाई माधोपुर राज0 हाल निवासी लुहारिया, पोस्ट करनाहेडा, जिला बारां।
7. कैलाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल शर्मा
8. राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल शर्मा
9. प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री राम गोपाल शर्मा
   समस्त निवासी बालाजी का चौक,बनस्थली, जिला टोंक
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,तहसील
11. सब रजिस्ट्रार, सवाई माधोपुर ।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अभिभाषक :–1. श्री राधेश्याम वेष्णव वकील वादी
2.श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील प्रतिवादीगण 1 लगायत 9
3. पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण सं0 10 व 11

निर्णय **दिनांकः– 30.10.2018**

वादी द्वारा एक वादपत्र घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. ग्राम कुण्डेरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित भूमि ख0नं0 270 रकबा 14 बिस्वा,ख0नं0 271 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 272 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा,ख0नं0 273 रकबा 5 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा थी,जिसका अंकन

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

मिसल हकीयत सम्वत् 1988 में माफी मन्दिर श्री रलक्ष्मीनायण जी महाराज वाके ग्राम कुण्डेरा,तहसील सवाई माधोपुर के नाम दर्ज थी। 2. उक्त भूमि खतोनी बंदोबस्त 2004 से 2033 में नवीन खसरा नं0 287 रकबा 9 बिस्वा,ख0नं0 288 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा,ख0नं0 289 रकबा 5 बिस्वा, कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वाके ग्राम कुण्डरा, तहसील सवाई माधोपुर के नाम के नाम दर्ज है,जिसमें पुजारी रामकुवार व सूरजमल पिसरान छीतर मल ब्राहमण दर्ज हैं जिसके हाल बंदोबस्त से नवीन ख0 नं0 356 रकबा 0.6400 ख0नं0 368 रकबा 0.5400,ख0नं0 369 रकबा 0.5700, ख0नं0 370 रकबा 0.0500 हैक्टर है। 3.यह कि इसके उपरान्त माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज, विराजमान ग्राम कुण्डेरा, तहसील सवाई माधोपुर के नाम अंकित उपरोक्त भूमि बिना किसी आदेश के प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पूर्वज स्व0 श्री रामेश्वर ने एवं मृतक रामकुवार ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सांठ गांठ कर फर्जी तरीके से उक्त सम्पूर्ण भूमि का इन्द्रज अपने नाम करा लिया 4. वादी एवं प्रतिवादीगण की वंशावली पेश की हैं 5. वाद पत्र के चरण संख्या 1 व 2 में अंकित भूमि के पूर्व ,खातेदार मृतक छीतरमल व सूरजमल से मृतक रामकुवार व रामेश्चवर ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फजी तरीके से माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का नाम हटवाकर स्वयं के नाम दर्ज कराली, जो विधि विरूद्व होने से पुनः माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वाके ग्राम कुण्डेरा, तहसील सवाई माधोपुर के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा बतौर पुजारी वादी व प्रतिवादी सं0 7 लगायत 9 के नाम 1/2 तथा प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम 1/2 भाग दर्ज की जावें । 6. मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वाके ग्राम कुण्डेरा, शाश्वत अवयस्क है, जिसके हितों की रक्षार्थ वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 बतौर पुजारी दर्ज किया जावे। 7. यह कि बिना किसी आदेश के उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के स्थान पर रामेश्वर की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र धनराज व चन्द्रप्रकाश प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने स्वयं के नाम दर्ज करवा ली तथा माफी मन्दिर का नाम विलुप्त करवा दिया, जबकि उक्त भूमि आज भी माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की है, माफी मन्दिर शाश्वत अवयस्क है, जिसके हितों की रक्षा के लिए तथा उक्त मन्दिर सेवापूजा व भोग हेतु उक्त भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनाराण जी महाराज के नाम दर्ज की जावे। 8. माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की भूमि जो वादपत्र के चरण सं0 2 व 2 में अंकित है, को प्रतिवादी सं0 1 व 2 अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को उक्त माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीरारायण जी महाराज की भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनाराण जी महाराज की हैं 9. विवादित भूमि खतोनी बंदोबस्त 2004 से 2023 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें 10 प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 23.8.2015 को वादपत्रके चरण सं0 1 व 2 में अंकित भूमि को बेचान करने की धमकी दी। इस कारण यह वादपत्र पेश करना जरूरी हो गया हैं 11. वाद कारण विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा दिनांक 23.10.2015 को उक्त वादग्रस्त भूमि को बेचान करने की धमकी देने के कारण ग्राम कुण्डेरा ,तहसील सवाई माधोपुर में उत्पन्न हुआ हैं 12. प्रतिवादी सं0 7,8 व 9 वादी के छोटे भाई के पुत्र हैं, जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है इस कारण उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है।13. प्रतिवादी सं0 10 व 11 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सवाई माधोपुर व उप पंजीयक,सवाई माधोपुर है।, जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, इस कारण इन्हे भी पक्षकार बनाया गया हैं 14. वादग्रस्त भूमि की अवस्थिति तथा पक्षकारों के निवास स्थान को देखते हुए उक्त वाद पत्र के विचारण का श्रीमान् के न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं 15. वाद पत्र दो रूपये न्याय शुल्क पर अंदर अवधि पेश है। 16. वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। (1)(क) घोषण इस प्रकार की जावे कि वादपत्र के चरण सं0 1 व 2 में अंकित भूमि माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनाराणजी महाराज वाके ग्राम कुण्डेरा के नाम दर्ज कर जरिए

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

पुजारी वादी व प्रतिवादी सं0 6 लगायत 9 के नाम 1/2 भाग तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 के नाम 1/2 भाग बतौर पुजारी दर्ज किया जावें (ख)राजस्व रिकार्ड में संशोधन इस प्रकार किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 व 1 तथा मृतक रामकुवार का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर पुनः उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वाके ग्राम कुण्डेरा के नाम दर्ज की जावे तथा साथ ही बतौर पुजारी वादी व प्रतिवादी सं0 6 लगायत 9 के नाम 1/2 भाग तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 के नाम 1/2 भाग दर्ज किया जावे। (ग) प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादपत्र के चरण सं0 1 व 2 में वर्णित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहनया बेचान नहीं करे। (घ) प्रतिवादी सं0 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे किवे वाद पत्र के चरण सं0 1 व 2 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री न करे। (2)खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। (3) अन्य परितोष जो भी प्रकरण की परिस्थिति में वादी को प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता हो प्रदान किया जावे।

. प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जरिये वकील हाजिर अदालत आये व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 9 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की ओर जवाब दावा पेश किया प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में वादपत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कुण्डेरा में स्थित होना स्वीकार है अन्य इबारत कतई अस्वीकार होना अंकित किया है 2. वाद पत्र के बिन्दु संख्या 2 लगायत 3 अस्वीकार होना अंकित किया है 4. वाद पत्र के मद न0 4 में अंकित सजरा आंशिक रूप से स्वीकार है क्योंकि भोरी लाल ने स्व अर्जित सम्पत्ति से ही मन्दिर की देखरेख व सेवा पूजा करता आ रहा है मृतक भोरी लाल ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था तभी से विवादित भूमि4 पर राज0 टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व का भौतिक कब्जा शांतिपूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही चला आ रहा हैं। 5. वाद पत्र का मद नं0 5 कतई अस्वीकार हैं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हाल खसरा नं0 356,368,369,370 के 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार है। एवं 1/2 हिस्सा मृतक रामकुंवार के नाम दर्ज होने का भी काउन्टर क्लेम भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार किया जा रहा है।6. वाद पत्र के मद नं0 6 लगायत 13 अस्वीकार होना अंकित किया है। 7. वाद पत्र का मद नं0 14 व 15 कानूनी है। 8. वाद पत्र का मद नं0 16 में अंकित दादरसी नं0 1 में अंकित क,ख,ग,घ व 2,3 वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम :– 1. वाद पत्र वादी दुर्भावान से प्रेरित होरक व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जिसमें नाम मात्र की सत्यता नही हैं 2. विवादित भूमि साविक खसरा नं0 287 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 288 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 289 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, सम्वत् 2004 से सम्वत् 2023 की खतोनी के अनुसार प्रतिवादी के पूर्वज भोरी लाल पुत्र गोकुल एक मात्र खातेदार कास्तकार दर्ज था। खातेदार कास्तकार होने के कारण विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम की भूमि नही थी इसलिये राजस्व रिर्कार्ड में माफी मन्दिर के नाम दर्ज नही हुई । 3. विवादित मंदिर प्रतिवादी के पूर्वज भोरी लाल ने स्व अर्जित सम्पत्ति से मंदिर बनवाया था एवं मंदिर के साल सम्भाल व देखरेख निजी आय से करते आ रहे है।रामकुंवार एवं सूरज मल लाओलाद 40–50 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। विवादित भूमि पर मृतक रामकुवार, सूरजमल का कभी भौतिक कब्जा भी नही रहा मृतक भोरी लाल ने ही विवादित भूमि को काबले काश्त बनाया था। 4. वादी ने राजस्व जमाबन्दी के अनुसार सहखतेदारों को पक्षकार भी नही बनाया है इसलिये दावा चलने योग्य नही है। 5. विवादित भूमि माफी मन्दिर की साबित होती हो सरकार स्वयं रेफरेन्स प्रसतुत कर देती लेकिन विवादित भूमि प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 के पूर्वजों के स्वामित्व की होने के कारण कभी भी माफी मंदिर के नाम की नही रही। इस आधार पर भी वादी द्वारा प्रसतुत वाद पत्र चलने योग्य नही है। 6. हाल खाता संख्या 620 में मृतक रामकुवार पुत्र गोकुल का 1/2 हिस्सा दर्ज

सहायक कलेक्टर
म0 सवाई माधोपुर

है। रामकुंवार की 50 वर्ष पूर्व मृत्यु होने के कारण विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का देरीना कब्जा होने के कारण काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। 7. वादी विवादित भूमि के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में मुकदमेंबाजी के द्वारा व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। इसलिये वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें। 8. काउन्टर क्लेम की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। एवं काउन्टर क्लेम निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादी निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रसतुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वाके ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित ,खसरा नं 356 रकबा 0.64 है0 ख0नं0 368 रकबा 0.54 है0,ख0नं0 369 रकबा 0.57 है0,ख0नं0 370 रकबा 0.05 है0,कुल किता 4 रकबा 1.80 है0 के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। एवं हाल राजस्व जमाबन्दी में से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम का इन्द्रज अपास्त फरमाया जावें।

वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश किया जिसमें वादी द्वारा अंकित किया है कि खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2004 से 2023 में खसरा नं0 287 रकबा 9 बिस्वा,खसरा नं0 288 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 289 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा कुल 7 बीघा 3 बिस्वा,खतोनी सं0 534 के अनुसार उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री लक्षमीनारायण जी महाराज अह्तकाम पुजारी रामकुवार व सूरजमल पुत्रान छीतर ब्राहमण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं उक्त भूमि भौरी लाल पुत्र गोकुल के नाम खतोनी बन्दोबस्ती संवत् 2004 से 2023 से दर्ज नहीं हैं यह भूमि माफी मन्दिर श्री लक्षमीनारायण जी की है।, जो पूर्व में माफी मन्दिर श्री लक्षमीनारायण जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। इसके अतिरिक्त सही तथ्य यह है कि रामकुंवार पुत्र छीतर न होकर रामकुंवार पुत्र गोकुल हैं एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का यह कथन असत्य है कि उक्त जमींन पर मृतक रामकुवार व सूरजमल का कभी भौतिक कब्जा नहीं रहा हो। इस प्रकार प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम में अंकित बिन्दुओं का विरोध करते हुये काउन्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया है। तनकीयात निम्न कायम की गई:–

1. आया वादीगण आराजी ख0नं0 356 रकबा 0.64 है0,ख0नं0 368 रकबा 0.54 है0,ख0नं0369 रकबा 0.57 है0,ख0नं0 370 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम कुण्डेरा में अंकित माफी मंदि श्री लक्ष्मीनाराण जी महाराज के साथ पुजारी वादी व प्रतिवादी नं0 7 लगायल 9 के नाम 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम 1/2 भाग बतोर पुजारी दर्ज कराने का अधिकारी है ? (वादी)
2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि उक्त भूमि को रहन बेचान नही करें। (वादी)
3. आया विवादित आराजीयात माफी मंदिर के नाम नही है तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पूर्वजो के स्वामित्व की है। (प्रतिवादी 1 व 2)
4. आया प्रतिवादी हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 5 व 6 के नाम का इन्द्राज हज्फ कराने तथा प्रतिवादीगण के कब्जे कास्त में वादीगण बाधा उत्पन्न न करे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। (प्रतिवादी 1 व 2)
5. अन्य दादरसी

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर

साक्ष्य वादी में पी0डब्लू–1 किशन लाल के बयान लेखबद्व किये गये । साक्ष्य वादी में दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 8 प्रस्तुत किये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू–1 धनराज,डी0डब्लू–2 रामहरि,डी0डब्लू–3 कैलाश के बयान लेखबद्व कराये तथा दस्तावेजाता में प्रदर्श डी–1 पेश किया।प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य के रूप में गवाह पुरूषोतम का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया थः किन्तु साक्ष्य एवं जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हुआ तथा प्रतिवादी की साक्ष्य न्यायालय द्वारा बन्द की गई। इस कारण उसका शपथ पत्र साक्ष्य में पठनीय नही है।

हमने वकील उभय पक्षो की बहस सुनी ·दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया की पूर्व खातेदार मृतक छीतरमल व सूरजमल से मृतक रामकुवार व रामेश्वर ने फर्जी तरीके से माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का नाम हटवा कर स्वय के नाम दर्ज कर ली जो विधि विरूद्व होने से पुनः माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वाके ग्राम कुण्डेरा,तहसील सवाई माधोपुर के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा बतौर पुजारी वादी व प्रतिवादी सं0 7 लगायत 9 के नाम 1/2 तथा प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं0 1लगायत 6 के नाम 1/2 भाग दर्ज की जावे।। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादी के द्वारा कहे गये कथनो का विरोध किया एवं निवेदन किया कि वाद पत्र वादी निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वाके ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित ,खसरा नं 356 रकबा 0.64 है0 ख0नं0 368 रकबा 0.54 है0,ख0नं0 369 रकबा 0.57 है0,ख0नं0 370 रकबा 0.05 है0,कुल किता 4 रकबा 1.80 है0 के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। एवं हाल राजस्व जमाबन्दी में से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम का इन्द्रज अपास्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान वकीलो की बहस सुनी गई एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दावा,जवाबदाव मय काउन्टर क्लेम तथा उनके के समर्थन प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्डस व प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम व जवाबुल जवाब व उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया । खतोनी बदोबस्त सम्वत् 2004–2023 प्रदर्श –1 के कॉलम नं0 4 में माफी श्री लक्ष्मीनारायण व अहतनाम पुजारी रामकुवार व सूरजमल पि0 छीतर मल अकदाम ब्राहमण के नाम दर्ज थी उक्त विवेचन से साबित होता है कि विवादित भूमि जागिर अधिग्रहण से पूर्व मन्दिर माफी श्री लक्ष्मीनारायणजी की थी। तथा राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0क0:–3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.5.2007 को पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की निरन्तरता में स्पष्ट किया है कि मन्दिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इनकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है। (1)भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग की बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमे देवमूर्ति के साथ पुजारी या सिवायत का नाम नही लिखा जावे(2)प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के सबंध में तहसील स्तर पर अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे। विवादित भूमि जागीरों के अधिग्रहण के समय से ही मन्दिर माफी की भूमि दर्ज थी इसलिये उक्त विवादित भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। मंदिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क हैं वह किसी किसी व्यक्तिके माध्यम से जो पुजारी,सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता हैं इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते।

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

वादी अपने दावे को आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिससे प्रमाणित हो कि उक्त विवादित भूमि माफी मन्दिर की न होकर उनकी पुश्तैनी जमीन हो।ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं ।

अतः वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 356 रकबा 0.6400 है0 ख0नं0 368 रकबा 0.5400 है0,369 रकबा 0.5700 है0, ख0नं0 370 रकबा 0.0500 है0 कुल किया 4 कुल रकबा 1.800 है0 स्थित ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर का मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी कुण्डेरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि वे राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजीयात में जिनके नाम का अंकन हो रहा है उनका नाम हटाकर मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी कुण्डेरा के नाम का अंकन करे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन अथवा बेचान नही करें तथा उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में अब तक किये गये सभी हस्तान्तरण शून्य,निष्प्रभावी तथा अवैध घोषित किये जाते है इनका कोई प्रभाव नही रहेगा तथा वादी का मन्दिर के साथ स्वयं के नाम व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने का परितोष अंस्वीकार किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर